



IndianOil

**Scholarships Advertisement**

IndianOil offers 2600 Scholarships for Students of 10+/ITI, Engineering, MBBS & MBA Courses on Merit cum Means basis.

Sl. No.	Stream	Duration for which Scholarship will be awarded and minimum duration of course	No. of Scholarships	Qualifying Examination	Minimum Eligibility marks in Qualifying Exam			Scholarship amount per month
					GEN	SC/ST/OBC/Girls	PC/PH	
1	10+/ITI	2 years	2000	10th	65%	60%	50%	Rs. 1000
2	Engineering	4 years	300	12th	65%	60%	50%	Rs. 3000
3	MBBS	4 years	200	12th	65%	60%	50%	Rs. 3000
4	MBA	2 years	100	Graduation	65%	60%	50%	Rs. 3000

**Abbreviations:** SC: Scheduled Caste, ST: Scheduled Tribe, OBC: Other Backward Class, GEN: General, PC/PH: Physically challenged/Physically handicapped (minimum 40% disability as per definition under Disabilities Act 1952)

- 50% scholarships are reserved for SC/ST/OBC students in respect of both the scholarships.
- 25% of the Scholarships in each category are earmarked for girl students
- 10% of the Scholarships in each category are earmarked for physically challenged students.

**"IndianOil Merit Scholarships Scheme" for 10+/ITI studies**

2000 Scholarships are being offered for 10+/ITI studies. The distribution of scholarships may be State-wise based on "Number of students appeared for 10<sup>th</sup> Standard during 2010-11".

**"IndianOil Scholarships Scheme" for Graduate and Post-Graduate students**

600 scholarships are being offered for professional courses (Engineering-300 nos., MBBS-200 Nos. & MBA-100 Nos.). The distribution of scholarships may be Zone-wise (as shown in the table below) based on "Number of students appeared for 12<sup>th</sup> Standard during 2010-11 and will be equitably distributed in the four zones given below. For MBA course marks obtained in graduate course will be considered.

**Zones for Professional Courses**

North	East	West	South
Delhi, Punjab, Uttar Pradesh, Rajasthan, Uttarakhand, Haryana, Himachal Pradesh & UT of Chandigarh, J&K	Bihar, Jharkhand, Orissa, West Bengal, Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, Sikkim, Andaman & Nicobar Islands.	Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Goa, UT of Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu	Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh, Pondicherry, Lakshadweep, Minicoy & Aminidivi Islands

Online application will be received **from 25.07.2011 to 15.09.2011** by logging on to <http://applicationnew.com/iocscholar2011>. All the information/details about the Scholarship Scheme are available on the above site.

Applicants are also advised to keep checking their personal e-mail ID for instructions specific for them only. For any further information/query, please contact Administrator of the Scheme; M/s ACE Consultants, B-13, DSIDC Complex, Functional Industrial Estate, Patpargunj Industrial Area, Delhi - 110 092, Phone No. 011-22162970, e-mail [indianoilscholarship2011@gmail.com](mailto:indianoilscholarship2011@gmail.com).

इंडियनऑयल शैक्षणिक छात्रवृत्तियां

इंडियनऑयल योग्यता व साधन ञ धार पर 10+/० ईटी० ई,इंजीनियरी,एमबीएस और एमबीए पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए 2600 छात्रवृत्तियों की पेशकश करता है।

क्रम सं.	स्ट्रीम	कितनी अवधि के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी और पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि	छात्रवृत्तियों की सं.	अर्हक परीक्षा	अर्हक परीक्षा में न्यूनतम पात्रता अंक			प्रति माह छात्रवृत्ति राशि
					सा	अनु जा/ अनु ज जा/ अ पि व/बालिका	शा.अ/शा.वि.	
1	10+/० ईटी० ई	2 वर्ष	2000	दसवीं	65%	60%	50%	रु. 1000
2	इंजीनियरी	4 वर्ष	300	बारहवीं	65%	60%	50%	रु. 3000
3	एमबीबीएस	4 वर्ष	200	बारहवीं	65%	60%	50%	रु. 3000
4	एमबीए	2 वर्ष	100	ग्रेज्युएशन	65%	60%	50%	रु. 3000

संक्षिप्तः अनु जा: अनुसूचित जाति, अनु ज जा: अनु जन जाति, अ पि व: अन्य पिछड़ा वर्ग, सा: सामान्य शा.अ/शा.वि.: शारीरिक रूप से असमर्थ/शारीरिक रूप से विकलांग (अशक्तता अधिनियम 1952 की परिभाषा के अनुसार न्यूनतम 40% अशक्तता)

•1. "10+/० ईटी० ई अध्ययन के लिए इंडियनऑयल मेरिट छात्रवृत्ति योजना"

10+/० ईटी० ई अध्ययन के लिए 2000 छात्रवृत्तियों की पेशकश की जा रही है। छात्रवृत्तियों का वितरण राज्यवार हो सकता है जो "2010-11 के दौरान दसवीं कक्षा के लिए बैठे छात्रों की संख्या पर ञ धारित होगा।"

•2. "ग्रेज्युएट व पोस्ट ग्रेज्युएट छात्रों के लिए इंडियनऑयल छात्रवृत्ति योजना"

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 600 छात्रवृत्तियों(इंजीनियरी-300,एमबीबीएस-200 और एमबीए-100)की पेशकश की जा रही है। छात्रवृत्तियों का वितरण ज़ोनवार(जैसाकि नीचे तालिका में दिखाया गया है) जो 2010-11 के दौरान बारहवीं के लिए बैठे छात्रों की संख्या पर ञ धारित होगा और नीचे दिए गए चार जोनों में समान रूप से वितरित की जाएंगी। एमबीए के लिए ग्रेज्युएट पाठ्यक्रम में प्राप्त किए गए अंकों पर विचार किया जाएगा।

उत्तर	पूर्व	पश्चिम	दक्षिण
दिल्ली,पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ संघशासित क्षेत्र,जम्मू व कश्मीर	बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम , मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दादरा व नगर हवेली का संघशासित क्षेत्र,दमन व दीव	तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ञ्च प्रदेश, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, मिनीकॉय व अमीनीदीवी द्वीपसमूह

**पात्रता:** इन स्ट्रीमों में पूर्णकालिक/नियमित पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्र और एमसी० ई/ए० ईसीटीई/राज्य शिक्षा बोर्डों/राज्य सरकार/० ईसीएससी/सीबीएससी/केन्द्र सरकार/भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यताप्राप्त स्कूलों/कालेजों/संस्थाओं/विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाले ० वेदन करने के लिए पात्र होंगे। छात्र का शैक्षणिक वर्ष 2011-12 में स्कूल/कालेज/विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष में प्रामाणिक दाखिला होना चाहिए। केन्द्र/राज्य सरकार/ भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यताप्राप्त बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन/मैनेजमेंट और जो एमबीए के समतुल्य हैं, में दो वर्षीय पोस्ट ग्रेज्युएट पाठ्यक्रमों के छात्र मैनेजमेंट स्ट्रीम छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। पूर्णकालिक इंजीनियरी डिग्री पाठ्यक्रम,एमबीबीएस,एमबीए के प्रथम वर्ष में पुष्ट दाखिले वाले छात्र और 11वीं कक्षा के साथ-साथ जो दो वर्ष ० ई० ईटी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में हैं वे भी ० वेदन करने के लिए पात्र हैं। ग्रेज्युएट्स के मामले में, सभी शैक्षणिक वर्षों में अंकों की औसत प्रतिशतता उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के तौर पर मानी जाएगी। इसी प्रकार 10वीं /12वीं के मामले में, यदि बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अंकों की प्रतिशतता का उल्लेख नहीं किया गया है तो प्राप्त किए अंकों की प्रतिशतता कुल समग्र अंकों पर केलकुलेट की जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के लिए अंकों की न्यूनतम पात्रता प्रतिशतता ऊपर निर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी।

उम्मीदवार के परिवार की सभी स्रोतों से सकल संयुक्त ० य (वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान) रु.1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) से अधिक नहीं होनी चाहिए। ० य प्रमाणपत्र सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा ही जारी किया होना चाहिए। इन पाठ्यक्रमों के संबंधित पहले वर्ष दाखिला लेने के लिए छात्रों को पात्र बनाने के वास्ते अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंक चयन के लिए विचारे जाएंगे। विभिन्न बोर्डों/विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के भीतर मार्किंग प्रणाली में समानता लाने के लिए इंजीनियरी,एमबीबीएस और एमबीए स्ट्रीमों के लिए ० वेदक के अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा। चयन के लिए मानक योग्यता और परिवार की ० य होगा। ० ईओसीएल,इसके संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों और ऐस कंसलटेंट्स के कर्मचारियों के बच्चे ० वेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

□ यु सीमा: 25.7.2011 को न्यूनतम 15 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष। 25.7.81 और 25.7.96 (दोनों दिन शामिल) के बीच जन्मे व्यक्ति □ वेदन करने के लिए पात्र हैं।

□ रक्षण व छूट: अ पि व उम्मीदवारों के लिए उपरी □ यु सीमा में छूट 3 वर्ष, अनु.जा./अनु. ज.जा. उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष और शारीरिक रूप से असमर्थ/शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष है। 50% छात्रवृत्तियां अनु.जा./अनु. ज.जा. और अ पि व उम्मीदवारों के लिए □ रक्षित हैं। प्रत्येक स्टीम/श्रेणी में 25% छात्रवृत्तियां बालिका विद्यार्थियों और 10% छात्रवृत्तियां शारीरिक रूप से असमर्थ/शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों (अशक्तता अधिनियम 1952 की परिभाषा के अंतर्गत न्यूनतम 40% अशक्तता) के लिए □ रक्षित हैं। अ. पि. व. कोटा पर केन्द्र सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सूचीबद्ध उम्मीदवारों को ही विचारा जाएगा। राज्य सूची के अ पि व उम्मीदवार और जो केन्द्र सरकार की सूची में कवर नहीं होते वे सामान्य कोटा के लिए □ वेदन कर सकते हैं।

□ वेदन: शैक्षणिक वर्ष 2011-12 में 11वीं कक्षा, 2 वर्षीय □ ईटी□ ई पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष, इंजीनियरी डिग्री, एमबीबीएस और एमबीए के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत उम्मीदवारों को

<http://applicationnew.com/ioclscholar2011> पर लॉगिंग करके ही ऑनलाइन □ वेदन फार्म के माध्यम से □ वेदन करना होगा। □ वेदक द्वारा एक बार ऑनलाइन □ वेदन प्रस्तुत करने पर सिस्टम एक यूनीक रजिस्ट्रेशन नम्बर जनरेट करेगा जिसे □ वेदक को भावी संदर्भ/पत्रव्यवहार के लिए नोट कर लेना चाहिए। □ वेदकों को प्रस्तुत किए गए ऑनलाइन □ वेदन का प्रिंट □ उट लेना चाहिए और अपने □ वेदन फार्म की हार्ड कॉपी पर विधिवत हस्ताक्षर करके अपने जाति/जन्मतिथि/अंक तालिका/परिवार की □ य के प्रमाणपत्र □ दि, जो उपयुक्त सक्षम प्राधिकारी/सिविल प्राधिकारी द्वारा विधिवत □ अधिप्रमाणित/सत्यापित हो, के साथ दस्तावेजों के सत्यापन के लिए तुरंत भेज देना चाहिए। □ वेदकों को निर्धारित फार्मों (फार्मों को डाउनलोड करने के लिए

<http://applicationnew.com/ioclscholar2011/Certificate.aspx> पर क्लिक करें) में सूचना देनी चाहिए जिसके साथ ऊपर बताए गए अनुसार □ वेदन फार्म की हार्ड कॉपी लगी होनी चाहिए। किंतु, प्रारंभिक □ वेदन के समय घोषित अंक □ य अथवा कोई अन्य जानकारी जांच के समय गलत पाए जाने पर ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएगी। स्कॉलरों के चयन के बारे में इंडियन ऑयल का निर्णय अंतिम होगा और चयन प्रक्रिया के बारे में कोई पत्रव्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

छात्र का निष्पादन पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान संतोषजनक होना चाहिए। निष्पादन स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान के मुखिया/प्रिंसीपल/डीन/निदेशक द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। इंजीनियरिंग, चिकित्सा तथा प्रबंधन में से प्रत्येक धारा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाला छात्र (जो अपने विश्वविद्यालय की परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करता है) तथा □ ईटी□ ई और 12वीं की अंतिम परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले (जो अपने-अपने बोर्ड में सर्वोच्च दस स्थान प्राप्त करने में समर्थ रहे हैं) ऊपर के दस छात्रों में से प्रत्येक को 10,000/- रुपये (मात्र दस हजार रुपये) का बोनस पुरस्कार दिया जाएगा, और उसे, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए इंडियन ऑयल इंस्टीट्यूट ऑफ

पेट्रोलियम मैनेजमेंट, गुडगांव के वार्षिक दिवस समारोह में □ मंत्रित किया जाएगा। यात्रा, □हरने, भोजन संबंधी खर्च □ ईओसीएल द्वारा वहन किया जाएगा।

इस योजना के अधीन छात्रवृत्तिधारक किसी अन्य स्रोत से कोई अन्य छात्रवृत्ति /शिक्षावृत्ति नहीं प्राप्त करेगा। यदि छात्र को कोई अन्य छात्रवृत्ति /शिक्षावृत्ति प्रदान की गई है तो छात्र जिस छात्रवृत्ति का लाभ उठाना चाहता है उसका चुनाव कर सकता है और उसके संबंध में प्राधिकारी को सूचित कर सकता है। यदि छात्र कोई अन्य छात्रवृत्ति लेना चाहता है तो उसे जिस अवधि के दौरान उसने □ ईओसीएल छात्रवृत्ति प्राप्त की है, उस अवधि की छात्रवृत्ति की राशि लौटानी होगी। छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान चुने गए छात्र के संबंधित स्कूल/ कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान के अध्यक्ष के माध्यम से छमाही □ धार पर किया जाएगा। लेकिन फिर भी पहली दो छमाही किस्तों का भुगतान इकट्ठे किया जाएगा ताकि वह राशि संबंधित स्कूल/ कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान के अध्यक्ष तक पहुंच सके। □ ईओसीएल किसी भी छात्र को किसी भी समय/अवस्था में रोजगार/व्यवसाय/ ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं होगा। □ ईओसीएल के पास किसी भी समय कोई भी कारण बताए बिना किसी भी □ वेदन-पत्र को नामंजूर करने और साथ ही छात्रवृत्ति बंद करने का अधिकार है।

**सामान्य अनुदेश:** उपर्युक्त वेबसाइट ऑनलाइन □ वेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए 25.7.2011 से 15.9.2011 तक खुली रहेगी। प्रार्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे उनके लिए विशिष्ट अनुदेशों के संबंध में अपनी वैयक्तिक ई-मेल □ ईडी नियमित रूप से देखते रहें। किसी भी विवाद का न्याय अधिकार क्षेत्र दिल्ली में होगा।

**अंतिम तारीख:** ऑनलाइन □ वेदन के लिए अंतिम तारीख 15.9.2011 है तथा ऊपर बताए अनुसार अपेक्षित दस्तावेजों सहित □ वेदन-पत्र की विधिवत रूप से हस्ताक्षर की गई हार्ड प्रति (प्रिंट □ उट) स्कीम के एडमिनिस्ट्रेटर, एस कंसलटेंट्स, पोस्ट बॉक्स नं. 9248, कृष्णा नगर, प्रधान डाकघर दिल्ली-110051 के पास 15.10.2011 तक अवश्य पहुंच जानी चाहिए और उसके बाद □ वेदन-पत्र/दस्तावेजों की हार्ड कापी/पत्र व्यवहार पर विचार/स्वीकार नहीं किया जाएगा। डाक में देरी अथवा □ वेदन-पत्र के मार्ग में गुम हो जाने के लिए □ ईओसीएल जिम्मेदार नहीं होगा।

ऑनलाइन □ वेदन करने के लिए क्लिक करें।

स्पोर्ट्स स्कालरशिप के लिए क्लिक करें।

किसी भी अन्य जानकारी/पूछताछ के लिए कृपया स्कीम के एडमिनिस्ट्रेटर से फोन नम्बर 011-22162970 पर या ई-मेल [indianoilscholarship2011@gmail.com](mailto:indianoilscholarship2011@gmail.com) पर सम्पर्क करें।